AZAD CGPSC ACADEMY

AZAD CGPSC ACADEMY

Unit Of Azad Group

पंचायती राज व्यवस्था

ACADEMY

पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर ग्रामवासियों को शासन सूत्र सौंपना है, प्राचीन काल से भारत में ग्रामीण स्वशासन की परम्परा रही हैं चाहे वैदिक काल हो या मौर्य काल, चोल कालीन ग्राम स्वायत्ततां या मध्यकाल, आधुनिक काल में पंचायती राज का विकासः

- आधुनिक काल में सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया, स्वतंत्रता उपरांत भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में इसे स्थान दिया गया। संविधान में पंचायती राज को राज्य सूची का विषय बनाया गया. पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनेक समितियों ने अनेक सिफारिशें दी हैं–
- बलवंत राय मेहता समिति – 1957 इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की – ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।
- इसी के तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया
- अशोक मेहता समिति– 1977–78, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की.
  1. मण्डल पंचायत

AZAD CGPSC ACADEMY

2. जिला परिषद

- डॉ. जी. वी. के. राव समिति – 1985, नीति नियोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए जिले को आधार बनाने और पंचायती राज संस्थाओं में नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की।
- डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी समिति– 1987 समिति ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनको ज्यादा आर्थिक संसाधन देने की सिफारिश की।

इसके अलावा डॉ. थूंगन समिति, सरकारिया आयोग आदि ने पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव दिए. परन्तु पंचायती राज के संदर्भ में सबसे महत्वूपर्ण था 73 वां संविधान संशोधन जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर नियमित चुनाव एवं अधिकारों से संवद्ध किया तथा इसके माध्यम से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को वास्तविक रूप दिया गया.

AZAD CGPSC ACADEMY

पंचायती राज संबंधी अनुच्छेद

अनुच्छेद 243	**परिभाषाएँ**
अनुच्छेद 243 A	ग्रामसभा
अनुच्छेद 243 B	ग्राम पंचायतो का गठन
अनुच्छेद 243 C	पंचायतों की संरचना
अनुच्छेद 243 D	स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 243 E	पंचायतों की अवधि
अनुच्छेद 243 F	सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ
अनुच्छेद 243 G	पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

AZAD CGPSC ACADEMY

अनुच्छेद 243 H	पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियॉ
अनुच्छेद 243 I	वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन
अनुच्छेद 243 J	पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा
अनुच्छेद 243 K	पंचायतों के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद 243 L	संघ राज्यों क्षेत्रों में लागू होना
अनुच्छेद 243 M	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना
अनुच्छेद 243 N	विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना
अनुच्छेद 243 O	निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

AZAD CGPSC ACADEMY

पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की जमानत राशि

पद	अनारक्षित वर्ग (रू. में)	आरक्षित वर्ग
पंच	50 रू.	25 रू.
सरपंच	1000 रू.	500 रू.
जनपद पंचायत सदस्य	2000 रू.	1000 रू.
जिला पंचायत सदस्य	4000 रू.	2000 रू.

AZAD CGPSC ACADEMY

पद	वार्ड / क्षेत्र / पद		चुनाव प्रक्रिया
	न्यूनतम	अधिकतम	
पंच	10	20	प्रत्यक्ष
सरपंच	01	01	प्रत्यक्ष
उपसरपंच	01	01	अप्रत्यक्ष (नामजद)
जनपद पंचायत सदस्य	10	25	प्रत्यक्ष
जनपद पंचायत अध्यक्ष	01	01	अप्रत्यक्ष (नामजद)
जनपद पंचायत उपाध्यक्ष	01	01	अप्रत्यक्ष (नामजद)
जिला पंचायत सदस्य	10	35	प्रत्यक्ष
जिला पंचायत अध्यक्ष	01	01	अप्रत्यक्ष (नामजद)
जिला पंचायत उपाध्यक्ष	01	01	अप्रत्यक्ष (नामजद)

AZAD CGPSC ACADEMY

ग्राम सभा

किसी ग्राम से संबंधित पंचायत सूची पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ग्राम सभा कहलाता है।

- ❖ एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं।
- ❖ अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था की गई कि किसी एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभी हो सकती है।

अधिसूचना – राज्यपाल द्वारा।

- ➢ ग्राम सभा के सदस्य, सामान्यतः ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नामित समस्त व्यक्ति होंगे।
- ➢ विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्ह (योग्य) है।

AZAD CGPSC ACADEMY

❖ कार्यकाल – कभी भी भंग नही हो सकती ।

➢ ग्राम सभा के सम्मिलन की तारीख, स्थान एवं समय का निर्धारण करने का अधिकार सरपंच को होगा।

➢ सरपंच की अनुपस्थिति में – उपसरपंच

➢ दोनों की अनुपस्थिति में – ग्राम पंचायत सचिव द्वारा।

➢ ग्राम पंचायत की बैठकें केवल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही होती है।

❖ सम्मिलन से पूर्व सूचना

➢ सम्मिलित की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व दी जाएगी।

➢ सम्मिलन की अध्यक्षता – सरपंच (Sarpanch)

➢ यदि सरपंच अनुपस्थित हो तो उपसरपंच द्वारा अध्यक्षता।

➢ दोनों की अनुपस्थिति हो तो ग्रामसभा के सदस्यों (आम जनता) द्वारा अपने बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।

AZAD CGPSC ACADEMY

- अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्रामसभा का अध्यक्ष हमेशा–
  - अनु. जनजाति वर्ग से ही होगा
- ग्राम सभा का सम्मिलन (Meeting of Gram Sabha)– 3 माह में एक बार (एक साल मे छः बार)
  1. 23 जनवरी
  2. 14 अप्रैल
  3. 20 अगस्त
  4. 02 अक्टूबर
  5. जून माह
  6. नवम्बर माह
- 6 ग्रामसभा सम्मिलन के अलावा
  - ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में अनुरोध करे तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मिलन कराना आवश्यक है।
  - जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला कलेक्टर द्वारा आदेश किये जाने पर 30 दिन के भीतर।

AZAD CGPSC ACADEMY

❖ गणपूर्ति/कोरम (Quorum)–

- कुल सदस्य संख्या का 1/10
- जिसमें से 1/3 महिलाएं (एक तिहाई)
- ग्रामसभा में गणपूर्ति का उत्तरदायित्व, संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंचों का होगा।
- यदि बैठक में कोरम पूर्ति नही होती हैं तो अध्यक्ष द्वारा बैठक स्थगिक किया जाता है बैठक के लिए तिथि निर्धारित की जाती है।
- स्थगन के बार की बैठक या सम्मिलन में कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं परन्तु इस बैठक या सम्मिलन को कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं है परन्तु इस बैठक में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है।
- अनुचूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा के किसी बैठक के लिए ग्रामसभा की सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक (जिसमें 1/3 महिला सदस्य हो) होने पर ही गणपूर्ति मानी जाएगी।

❖ इसके अलावा निम्न पांच विषयों पर भी चर्चा नहीं की जा सकती –

- वार्षिक कार्ययोजना

AZAD CGPSC ACADEMY

- हितग्राहियों का चयन।
- वार्षिक बजट (Annual budget)
- वार्षिक लेखा एंव संपरीक्षा प्रतिवेदन (Audit Report)
- प्रशासनिक रिपोर्ट।

❖ ग्राम सभा की लगातार तीन बैठकों में कोरम पूर्ति न होने पर संबंधित पंच एंव सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा तथा 2 आगामी ग्राम सभा में कोरम पूर्ति का अवसर दिया जाएगा। फिर भी कोरम पूर्ति न होने पर पद से हटाने की कार्यवाही की जाएगी। सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

- यदि ग्राम पंचायत की ग्रामसभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर ग्रामसभा का संयुक्त सम्मिलन निर्णय करेगा।

AZAD CGPSC ACADEMY

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत का गठन–

- वार्डो की न्यूनतम संख्या–10 अधिकतम संख्या – 20 हो सकती है।
- प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या समान होनी चाहिए।
- प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर 1 ग्राम पंचायत ।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में वार्डो की संख्या कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- पंचों के चुनाव में बराबर मत आने पर विहित प्राधिकारी लाट द्वारा निर्णय लेता है।
- किसी भी क्षेत्र को जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा दी जाती है।

AZAD CGPSC ACADEMY

कोरम– कुल सदस्य संख्या का 50 %

- ग्राम पंचायत का सरपंच प्रत्येक माह कम से कम एक सम्मिलन बुलाएगा। यदि सरपंच सम्मिलन बुलाने में असमर्थ होता है। तब पंचायत सचिव 25 दिन बाद सम्मिलन की सूचना जारी करेगा।
- विशेष सम्मेलन –यदि पंचायत के 50% से अधिक सदस्य लिखित आवेदन देकर **Meeting** बुलाना चाहते है तो सरपंच **Meeting** विशेष सम्मेलन बुलाया। (7 दिन के भीतर)
  - ↳ यदि सरपंच असफल रहता है तो वह सदस्य ही सम्मेलन बुला सकते हैं। किन्तु सूचना सचिव जारी करेगा।
    (यदि सरपंच 3 विशेष सम्मेलन बुलाने में असफल होता है तब उसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज धारा 40 के तहत सरपंच को **Suspend** कर दिया जायेगा

AZAD CGPSC ACADEMY

आरक्षण

ST/SC के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण

- अनुसूचित जनजाति (ST) या अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किय गये हैं तो कुल स्थान का 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित रहेगा।
- महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित रहेगा

AZAD CGPSC ACADEMY

❖ **पंचायतों की अवधि :–**

- प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम सम्मिलन के नियत तारीख से 5 वर्ष तक।
- पंचायत के लिए निर्वाचन 5 साल की काल अवधि समाप्त होने के 6 माह पूर्व पूरा कर लिया जाएगा। 5 वर्ष के पूर्व पदत्याग हो जाने पर 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक होता है। तब तक स्थानापन्न पदाधिकारी के द्वारा कार्य का संपादन किया जाता है।

AZAD CGPSC ACADEMY

पंच/सरपंच चुनाव जानकारी

अवधि → 5 वर्ष (1st अधिवेशन से)

→ मृत्यु/त्यागपत्र → 6 माह में चुनाव अनिवार्य

तब तक निर्वाचित पंच अपने में से/को स्थानापन्न सरपंच चुनेंगे।

यदि सरपंच/पंच निर्वाचित न हो।

राज्य चुनाव (निर्वाचन) आयोग के निश्चय करने पर ही चुनाव/ जब तक पूर्व सरपंच ही कार्यभार देखेगें।

पुनः चुनाव यदि हो – 5 वर्ष से शेष कार्यकाल के लिये होंगे।

AZAD CGPSC ACADEMY

सरपंच / उपसरपंच हेतु अर्हता

- कोई व्यक्ति जो पंच के रूप में निर्वाचन योग्य हो।
- LS / RS का सदस्य न हो / (संसद / विधानसभा)

← यह शर्तें पंचों के लिये नहीं

- सहकारी सोसाइटी (Co.operative society) का सभापति / उपसभापति न हो।
- सहकारी नौकरी = (लाभ के पद) पर न हो।
- (21) वर्ष की आयु प्राप्त / (पर मतदान की आयु = 18 वर्ष)

AZAD CGPSC ACADEMY

ग्राम पंचायत के पदाधिकारी

	पंच	सरपंच	उपसरंपच
शपथ	विहित प्राधिकारी	विहित प्राधिकारी	विहित प्राधिकारी
त्यागपत्र	सरपंच	जिला उपसंचालक पंयायत	जिला उपसंचालक पंचायत

- **ग्राम पंचायत सचिव**
  - **नियुक्त – उपसंचालक (पंचायत एंव समाज कल्याण)**
  - **शक्ति – ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक सचिव बुलाता है।**
  - **कार्य – ग्राम पंचायत के अभिलेखों को बनाने की जिम्मेदारी सचिव की होती है।**
    – ग्राम पंचायत के मासिक बैठक में आय–व्यय की जानकारी प्रस्तुत करता है।

AZAD CGPSC ACADEMY

जनपद पंचायत

- ❖ अधिसूचना – राज्यपाल द्वारा।
- ❖ संरचना – O. निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य (जनपद पंचायत सदस्य)
  - – प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या– कम–से–कम 5 हजार
  - – जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण – राज्य सरकार द्वारा।
  - O. राज्य विधानसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या अंशतः आते हैं। ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जनपद पंचायत का सदस्य बनने योग्य नहीं होगा।
  - O. जनपद पंचायत क्षेत्र के कुल सरपंचों का 1/5 (20 प्रतिशत) चक्रानुक्रम में एक वर्ष के अवधि के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा लॉट्री निकाल कर सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। जिनका कार्यकाल केवल एक वर्ष का होगा, जिसे पुनः

AZAD CGPSC ACADEMY

सदस्यता नहीं दी जा सकती है। वह सरपंच सदस्य पंचायतों के स्थायी समिति में सदस्य नहीं हो सकते।

गणपूर्ती – कुल सदस्य संख्या का $\frac{1}{3}$

❖ <u>बैठक की सूचना</u> –

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ)
- नियत तारीख से 7 दिन पूर्व।

➢ <u>पहली बैठक बुलाना</u>

- रिजल्ट प्रकाशन के 30 दिन के भीतर बुलाया जायेगा । इसी तिथि से कार्यकाल की गणना
- नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ होगा।
- सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष एवं किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में
- यदि अध्यक्ष सामान्य वर्ग से निर्वाचित हुआ है तो उपाध्यक्ष आरक्षित वर्ग का होगा।

AZAD CGPSC ACADEMY

- जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य भविष्य में संसद या विधानसभा या सहकारी सोसायटी का सभापति या उप – सभापति बन जाता है तो उसी तारीख से पद रिक्त समझा जाएगा।

➢ <u>सामान्य बैठक बुलाना</u>–

- प्रत्येक माह में कम से कम एक बार।
- जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाता है।

➢ विशेष बैठक–

- यदि जनपद पंचायत के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य, जपनद पंचायत की विशेष बैठक के लिए आवेदन करते हैं तो जनपद पंचायत अध्यक्ष 7 दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा। अध्यक्ष आवेदन प्राप्त होने के बाद भी बैठक बुलाने में असफल रहता है तो वे सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं, जिन्होंने बैठक के लिए आवेदन किया तथा इस बैठक की सूचना सीईओ द्वारा जारी की जाएगी।

AZAD CGPSC ACADEMY

जिला पंचायत

❖ गठन – O. निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य (जिला पंचायत सदस्य)।

- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कम–से–कम 50 हजार।
- न्यूनतम संख्या – 10 एवं अधिकतम संख्या– 35

O लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः शामिल हो

O. राज्यसभा के समस्त सदस्य जिनका नाम जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आता है।

O. राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित एवं नामित हुए हैं।

O. जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के नामित सदस्य होंगे।

परन्तु लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में आता है जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे।

AZAD CGPSC ACADEMY

पंचायत पदाधिकारियों की पदमुक्ति

अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion)–

- ग्राम पंचायत – सरपंच एवं उपसरपंच के खिलाफ। (पंचो द्वारा)
- जनपद पंचायत – जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के खिलाफ।
- जिला पंचायत – जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के खिलाफ।

} (सदस्यों द्वारा)

❖ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना उस निकाय के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य हस्ताक्षर कर सक्षम अधिकारी को सौंपते हैं

- सरपंच और उप –सरपंच के लिए – अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।
- जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए – जिला कलेक्टर को ।
- जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए – संचालक पंचायत को।

AZAD CGPSC ACADEMY

❖ अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता –

- सरपंच और उपसरपंच के लिए – नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी (राजस्व)।
- जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए – डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी।
- जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए – कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर।

❖ अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब उस बैठक में उपस्थित पंचायत में 3/4 सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, उसके पक्ष में मतदा करें, जो उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों का 3/4 बहुमत हो, जो कुल पंचों के 2/3 बहुमत से अधिक हो।

AZAD CGPSC ACADEMY

अविश्वास प्रस्ताव की अपील

- सरपंच का उपसरपंच
  - कलेक्टर को अपील करेगा
    (7 दिनों के भीतर)
- जनपद पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष
  - संचालक पंचायत को अपील करेगा।
    (10 दिनों के भीतर)
- जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष
  - राज्य सरकार को अपील करेगा।
    (15 दिनों के भीतर)

AZAD CGPSC ACADEMY

- अंतिम निर्णय संबंधित विभागाधिकारियों द्वारा 30 दिनों के भीतर होगा।

❖ कब नहीं लाया जाएगा–

- पद ग्रहण के एक वर्ष के कालावधि के भीतर नहीं लाया जा सकता।
- यदि पदाधिकारी के कार्यकाल समाप्ति के 6 माह शेष हो तो नहीं लाया जा सकता ।
- पूर्व अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता ।

पंचायत के सदस्यों को वापस बुलाया जाना या (प्रव्यावर्तन –Recall)

❖ प्रत्यक्ष निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी के खिलाफ।

❖ ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा अभियोग पत्र या सूचना पर हस्ताक्षर कर दिया जाए और उसे विहित प्राधिकारी जैसे– अनुविभागीय अधिकारी – SDO को प्रस्तुत

AZAD CGPSC ACADEMY

- ❖ इसके बाद राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गुप्त मतदान
- ❖ अगर कुल मतदान के आधे से अधिक मतदाता सरपंच या पंच को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं। इस प्रकार बहुमत पारित होने पर वे पंचायत पदाधिकारी अपने पद से तत्काल प्रभाव से रिक्त समझा जाएगा।
- ❖ अपील– 7 दिवस के भीतर कलेक्टर को, कलेक्टर उस तारीख से 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा जो अंतिम निर्णय होगा।
- ❖ वापस बुलाने की प्रक्रिया तब तक नहीं लाई जायेगी–
  - पद धारण करने की तारीख से ढाई वर्ष $2\frac{1}{1}$ वर्ष का कार्यकाल पूरा न हो जाए।
  - यदि उप चुनाव में निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा न हो गया हो।
  - यदि कार्यकाल 6 माह शेष हो।

AZAD CGPSC ACADEMY

पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन (Suspension)

- किसी भी पंचायत पदाधिकारी जिसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता या आई.पी.सी. की धारा के तहत जैसे – हत्या, जेल में हत्या , गैर–इरादतन हत्या या महिला एवं बाल शोषण, बलात्कार आदि इस प्रकार के जधन्य अपराध उसके खिलाफ, यदि न्यायालय में विचाराधीन है। निलंबन की सूचना 10 दिन के भीतर राज्य शासन को भेजी जायेगी। निबंलन आदेश की पुष्टि राज्य शासन द्वारा सूचना प्राप्ति के तारीख से 90 दिन के भीतर नहीं की जाती है तो वह निलंबन निष्प्रभावी समझा जाएगा।

AZAD CGPSC
ACADEMY

किसी पंचायत के पदाधिकारी को उसके पद से निलंबन हेतु अधिकृत प्राधिकारी

- ग्राम पंचायत के
  सरपंच, उपसरंपच एवं पंच को
  → अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
- जनपद पंचायत के
  अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य को
  → कलेक्टा/अतिरिक्त कलेक्टर
- जिला पंचायत के
  अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य को
  → कलेक्टर

निलंबन से खाली हुये पद के लिये चुनाव नहीं होंगे।

AZAD CGPSC ACADEMY

निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी को पद से हटाना (Removal)

अगर पंचायत को कोई भी पदाधिकारी ग्राम पंचायत के अनुमति के बिना–

- पंचायत के छः माह को काम के दौरान आधे –से– अधिक पंचायतों के बैठकों में अनुपस्थित रहा हो
- वह पंचायत की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो
- पंचायत की स्थायी समितियों की लगातार तीन बैठकों में नहीं आता है, तो ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

AZAD CGPSC ACADEMY

किसी पंचायत के पदाधिकारी को पद से हटाने हेतु अधिकृत प्राधिकारी

- ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को
  - अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
- जनपद पंचायत के पदाधिकारियों को
  - कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर
- जिला पंचायत के पदाधिकारियों को
  - संचालक, पंचायत

AZAD CGPSC ACADEMY

स्वयं त्याग–पत्र देना (Resignation)

Online/ Offline Batch

IAS,UPPCS, RO/ARO, BPSC, UKPSC, CGPSC, MPPSC, RPSC, JPSC Exam की आसान भाषा में सम्पूर्ण तैयारी के लिए Azad IAS Academy App Download कीजिए

www.azadiasacademy.com

M.9115269789

Our Publication

अब आप सभी घर बैठे ही IAS,UPPSC,BPSC, MPPSC, RAS,CGPSC,UKPSC,JPSC,UPSSSC Exam एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बुक आर्डर कर सकते है, समग्र भारत में पुस्तकों की Delivery उपलब्ध है,

www.azadpublication.com

M.8929821970

Our Foundation

Azad Publication, Azad Group का Charitable Trust है जिसका मुख्य लक्ष्य राष्ट्र की सामाजिक समस्याओं के निदान के निदान हेतु प्रखर रूप से कार्य करना हेतू हैं एवं पर्यावरण संरक्षण, पशु सेवा, आपदा रहित, शिक्षा, स्वास्थएवं विभिन्न जन समस्याओं का जन जागरूकता के माध्यम से राष्ट से में अग्रणी भूमिका निभानी हैं।

www.azadfoundation.net

Unitofazadgroup@gmail.com

AZAD CGPSC ACADEMY